

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

परशुराम धानका

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

10/2014/प्रा.पत्र/2014

11.09.2014

26.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-विक्रेता श्री सुनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री रामअवतार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 71 विवेक विहार जगतपुरा जयपुर विक्रेता मैसर्स वेज वर्ल्ड (चौपाल) वनस्थली मोड निवाड़ी जिला टोंक
2-प्रोपराइटर अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा निवासी 192 कृष्णा नगर मानसरोवर जयपुर मैसर्स वेज वर्ल्ड (चौपाल) वनस्थली मोड निवाड़ी जिला टोंक

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 50 व 51

उपरिस्थित-

1-पेरोकार सरकार उप.।

2-अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपरिस्थित ।

:-निर्णय:-

दिनांक 26.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.03.2014 को समय 03:15 पीएम पर मैसर्स वेज वर्ल्ड (चौपाल) वनस्थली मोड निवाड़ी जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री सुनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री रामअवतार शर्मा मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुनिल कुमार शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु स्टील के भगुने में लगभग 18 किलो दही रखा हुआ था जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सुनिल कुमार शर्मा को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर. एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री सुनिल कुमार शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह दही वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, एक किलो दही खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा दही को चार बराबर भागों में तैयार कर अलग-अलग चार साफ सूखी कांच की शिशियों में भरकर ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाइट बंद किया एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-688 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने



1883

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री सुनिल कुमार शर्मा तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेवलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-688 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./14/1190 दिनांक 11.04.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट स. एल.एस. /98/एफएसएसए/2014/102 दिनांक 31.03.2014 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया दही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011) के अनुसार अवमानक (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री विक्रम जैन एडवोकेट ने दिनांक 19.06.2015 को वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, और ना ही अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अतः परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस दही का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दही का नमूना जांच में अवमानक (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 50 व 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 26.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(परशुराम धानका)

न्यायालय, टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०